भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *281

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

श्रमिकों का पलायन

***281. श्री गुमान सिंह दामोर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार के अवसरों की खोज में रतलाम, मध्य प्रदेश से श्रमिकों के अन्य राज्यों में पलायन को रोकने के लिये सरकार कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई योजना कब तक बनाये जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** *****

श्रमिकों के पलायन के संबंध में श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा दिनांक 09.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या * 281 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): श्रमिकों का एक जगह से दूसरी जगह प्रवास रतलाम, मध्य प्रदेश तक विशिष्ट नहीं है। रोजगार के अवसर, बेहतर संभावनाएं, मांग और आपूर्ति में अंतर, बाजार की शक्तियां कुछ ऐसे घटक है जो स्थानीय रोजगार अवसरों और सरकारी रोजगार सृजन स्कीमों के कार्यान्वयन के होते हुए भी प्रवास को निर्धारित करते और बल देते हैं।

प्रत्येक नागरिक को बेहतर रोजगार अवसरों तथा संभावनाओं की खोज में देश के किसी भी भाग में प्रवास का अधिकार है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को देश के सभी क्षेत्रों में मुक्त रूप से आने - जाने के मूल अधिकार की गारंटी देता है। मुक्त प्रवास के सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के खण्ड (घ) और (ड.) में किया गया है।

रोजगार सृजन और स्थानीय रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंतोदय योजना आदि को क्रियान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त प्रवास में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों के नियोजन को विनियमित करने और उनकी सेवा शर्तों का उपबंध करने के लिए अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1979 का कार्यान्वयन कर रही है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी कामगारों के लिए यात्रा भत्ते के भुगतान, विस्थापन भत्ते, आवासीय स्थान, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षाकारी वस्त्र आदि हेतु उपबंध किए गए हैं। मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) के अंतर्गत सीआईआरएम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन करने के लिए एक सुस्थापित तंत्र है। सीआईआरएम के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी पंजीकृत प्रतिष्ठानों और लाइसेंसशुदा ठेकेदारों का नियमित निरीक्षण करते हैं और इस संबंध में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के प्रवर्तन विवरण **नीचे संलग्न है**। इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

अनुबंध

केंद्रीय क्षेत्र में अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (आरईएण्डसीएस) अधिनियम, 1979 का प्रवर्तन

क्र.सं.	**विवरण**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019 - 20 (सितम्बर, 2019 तक)**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	122	209	185	110
2	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	2214	2952	3463	1320
3	दूर की गई अनिय-मितताओं की संख्या	1848	1939	2423	518
4	शुरू की गई अभियोजनों की संख्या	52	57	**8**4	23
5	दोषसिद्धियों की संख्या	59	47	38	19

****